कोर्ट फी COURT FEE 20रु Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(11)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R-3871-I/14

बुद्धराम किरार पुत्र श्री जगन्नाथ किरार
निवासी–ग्राम गणेशपुरा, तहसील
मक्सूदनगढ़ जिला गुना म.प्र.

श्री बी.पी. चौरसिया, अभि. द्वारा आज 22-11-14 को प्रस्तुत
22/11/14
रजिस्ट्रार राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.......आवेदक /निगरानीकर्ता

बनाम

1. घासीराम पुत्र मथुरालाल, जाति किरार
2. कम्बोबाई पुत्री मथुरालाल, जाति किरार
3. गंगाबाई पुत्री मथुरालाल,जाति किरार
4. मिश्रीलाल किरार पुत्र बिहारीलाल किरार
5. जमनालाल किरार पुत्र श्री बिहारीलाल किरार
6. सुन्दरलाल किरार पुत्र बिहारीलाल किरार

निवासीगण– ग्राम गणेशपुरा तहसील मक्सूदनगढ़ जिला गुना म.प्र. .... **प्रतिनिगरानीकर्तागण**

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता जिसके तहत माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राघोगढ़ जिला गुना द्वारा प्र.क्रं. 04/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2014 को आदेश पारित कर धारा 5 अवधि विधान का आबंटन मंजूर किया कि विरूद्ध रिवीजन ।

माननीय महोदय,

सादर निगरानीकर्ता की ओरसे रिवीजन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम

2014 Nov 21 - 235

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3871-एक/14 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-11-2018	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक क्रमांक 1 से 3 की ओर से श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 4 से 6 की ओर से श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ़ जिला गुना द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील समयावधि में मान्य की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, जिला ग्वालियर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-1-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु आवेदक को सूचित किया जाये । अध्यक्ष	